आसूचना यूनिट-भारत को अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत की जा सकें।

- लेनदेनों की निगरानी करने और इस संबंध में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने एक उपयुक्त साफ्टवेयर खरीदा है जो बैंक की सभी देशीय शाखाओं के सभी लेनदेनों की दैनिक आधार पर जांच करता है और इससे आफ लाइन मोड से रोजाना संदेहजनक लेनदेनों की रिपोर्ट (एसटीआर) अलर्ट्स के साथ-साथ मासिक नकद लेनदेन रिपोर्ट तैयार की जाती हैं जिनका विश्लेषण इस उद्देश्य के लिए बनाए गए केवाईसी/एएमएल कक्ष द्वारा किया जाता है।
- बैंक में केवाईसी/एएमएल पर प्रशिक्षण नियमित आधार पर प्रदान किया जा रहा है। केवाईसी/एएमल के विशिष्ट कार्यक्रमों के अतिरिक्त, सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में केवाईसी/एएमएल संबंधी एक सत्र रखा जाता है।

उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक बोर्ड एतदद्वारा उल्लेख करता है कि:

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखा मानकों का समुचित अनुपालन किया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं निरंतर प्रयोग किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं, जो 31 मार्च 2009 को बैंक के कार्यकलाप और उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ और हानि की सही एवं निष्पक्ष स्थिति दर्शाने के लिए पर्याप्त एवं विवेकसम्मत हैं;

iii. उन्होंने बैंक की आस्तियों की रक्षा करने तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताएं रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखने हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है; और

iv उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है।

आभार

वर्ष के दौरान, श्री टी. एस. भट्टाचार्य, जो 31 जनवरी 2008 को सेवानिवृत हो गए थे, के स्थान पर दिनांक 5 दिसंबर 2008 से प्रबंध निदेशक के रूप में श्री आर. श्रीधरन नियुक्त किए गए। श्री सुमन कुमार बेरी और श्री अशोक झुनझुनवाला, निदेशकों ने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया और उन्हें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा दिनांक 24 जून 2008 से 3 वर्ष की अवधि के लिए श्री दिलीप सी.चौकसी और श्री एस. वैंकटाचलम के साथ फिर से चुन लिया गया।

डॉ. राजीव कुमार को भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2008 से केन्द्रीय बोर्ड में नामित किया गया है। श्री सुमन कुमार बेरी, जिन्होंने 18 सितंबर 2008 को केन्द्रीय बोर्ड से त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर श्री डी. सुन्दरम को दिनांक 13 जनवरी 2009 से धारा 19 (ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा शेष अवधि अर्थात् 23 जून 2011 तक चुन लिया गया।

भारत सरकार के धारा 19 (ङ) के अंतर्गत नामिती निदेशक श्री अरुण रामनाथन 30 अप्रैल 2009 से अपनी अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के कारण बैंक के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।

बोर्ड में चर्चाओं के दौरान श्री अरुण रामनाथन और श्री सुमन कुमार बेरी द्वारा दिए गए योगदान की निदेशकों ने प्रशंसा की।

केन्द्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से,

ओ.पी. भट्ट
अध्यक्ष

दिनांक: 9 मई 2009

Intelligence Unit-India mandated by rules of Prevention of Money Laundering Act, 2002.

- With a view to implementing and supporting monitoring of transactions, the Bank has acquired appropriate software which is processing all transactions handled by all domestic branches of the Bank, on a day to day basis and monthly Cash Transaction Reports (CTRs) are being generated along with Suspicious Transaction Report (STR) alerts daily in offline mode, for analysis by the dedicated KYC/AML Cell.
- Training on KYC/AML is being imparted on an ongoing basis in the Bank. In addition to exclusive KYC/AML programmes, all training programmes/ seminars/workshops have a KYC/AML session included in the programme.

Responsibility Statement

The Board of Directors hereby states :

i. that in the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;

ii. that they have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates as are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on the 31st March 2009, and of the profit and loss of the Bank for the year ended on that date;

iii. that they have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and State Bank of India Act, 1955 for safeguarding the assets of the Bank and preventing and detecting frauds and other irregularities; and

iv. that they have prepared the annual accounts on a going concern basis.

Acknowledgement

During the year, Shri R. Sridharan was appointed as Managing Director with effect from the 5th December 2008, in place of Shri T.S. Bhattacharya, who retired on the 31st January 2008. Shri Suman Kumar Bery and Shri Ashok Jhunjhunwala, Directors, resigned from the Board and were re-elected under Section 19(c) of the SBI Act., by the Shareholders along with Shri Dileep C. Choksi and Shri S. Venkatachalam for a period of 3 years with effect from the 24th June 2008.

Dr. Rajiv Kumar was nominated to the Central Board with effect from 8th September 2008 by the Government of India. Shri D. Sundaram was elected by the Shareholders under Section 19(c) with effect from the 13th January 2009, in place of Shri Suman Kumar Bery, who resigned from the Central Board on the 18th September 2008, for the residual period upto the 23rd June 2011.

Consequent to his superannuation on 30th April 2009, Shri Arun Ramanathan, GOI Nominee Director [under Section 19(e)], ceased to be a Director on the Bank's Board.

The Directors place on record their appreciation of the contribution made by Shri Arun Ramanathan and Shri Suman Kumar Bery to the deliberations of the Board.

For and on behalf of the
Central Board of Directors

O.P. Bhatt
Chairman

Date : 9th May, 2009